माननीय न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर के समक्ष

हरप्रीत सिंह

-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

-प्रतिवादी

सी.आर.एल. एम. नं. 14887/एम 2009

1 सितंबर. 2009

किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2000.-धारा2(k) और (1),धारा 12 व धारा 14-किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण) नियम, 2007-नियम 12-अपराध करने की तिथि पर याचिकाकर्ता को किशोर दिखाने वाला स्कूल प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र--ट्रायल कोर्ट ने 2007 के नियमों के नियम 12(2) के तहत अपेक्षित प्रथम दृष्टया राय दर्ज नहीं की-अपराध करने की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की किशोरता को उस समय देखा जाना चाहिए, इसलिए, न्यायालय के लिए यह जरूरी है कि वह 2007 के नियम 12 (2) के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रथम दृष्टय राय दर्ज करे - स्कूल प्रमाण पत्र और अंकपत्र की एक प्रति किसी किशोर की जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए नियम 12(3) के अधिदेश के अनुरूप थी या पहली बार किसी स्कूल में पढ़े गए स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र, और केवल इस सामग्री के अभाव में न्यायालय को जांच के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है और कुछ अन्य सामग्री पर गौर करना आवश्यक है- ट्रायल कोर्ट द्वारा बीमा पॉलिसी की कुछ प्रविष्टि पर भरोसा करना और चौकीदार के रजिस्टर में प्रविष्टि पर भरोसा करना गलत है- याचिकाकर्ता को किशोर घोषित करते हुए याचिका स्वीकार की गई।

यह निर्धारित किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने नियमों के नियम 12(2) के तहत आवश्यक प्रथम दृष्टया राय दर्ज न करके स्पष्ट रूप से गलती की है। ये प्रावधान महज़ कोरी औपचारिकता नहीं हैं। इन प्रावधानों के पीछे अंतर्निहित कारण यह है कि न्यायालय, जिसके पास सबसे पहले कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की शारीरिक उपस्थिति का आकलन करने का अवसर होता है, को दो कारणों से अपनी संतुष्टि या प्रथम दृष्टया प्रभाव दर्ज करना होता है। एक- जांच में कुछ समय लग सकता है और दूसरा, न्यायालय किसी व्यक्ति को देखकर आश्वस्त हो सकता है कि वह किशोर है और इस तरह अधिनियम की धारा 12 या 15 के तहत आवश्यक त्वरित उपाय कर सकता है।अपराध करने की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की किशोरता उसी समय देखी जानी है

और इसलिए, न्यायालय के लिए नियमों के नियम 12(2) के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रथम दृष्टया राय दर्ज करना अनिवार्य है।

(पैरा 14)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि प्रिंसिपल, समरहिल कोवेंट स्कूल, बठिंडा द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र और माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 2007 की अंक तालिका की एक प्रति, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 15 अगस्त, 1991 है,नियमों के नियम 12(3) के अनुरूप थे जो किसी किशोर की जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार भाग लेने वाले स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख निर्धारित करने के लिए एक राय को आधार बनाता है और केवल इस सामग्री के अभाव में ही न्यायालय को पूछताछ करने और कुछ अन्य सामग्री पर गौर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से गलती में था जब उसने कुछ प्रविष्टि पर भरोसा करना चुना जिसके आधार पर बीमा पॉलिसी दी गई थी और इसी तरह, चौकीदार के रजिस्टर में प्रविष्टि पर भरोसा करके भी गलती हुई थी जिसने अस्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के पिता के घर तीसरे बेटे का जन्म 3 फरवरी,1987 को होना दर्ज किया था।

(पैरा 17)

श्रीमती बलजीत मान, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्रीमती सुषमा चोपड़ा, अतिरिक्त महाधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

ए.पी.एस. देवल, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद ठाकुर के साथ ,अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

महेश ग्रोवर, जे.

1. तत्काल याचिका सत्र न्यायाधीश, सिरसा (इसके बाद ट्रायल कोर्ट के रूप में वर्णित) के 5 मई, 2009 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे आपराधिक कार्यवाही,जिसका वह सामना कर रहा है,में किशोर घोषित करने से मना कर दिया था।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि आक्षेपित आदेश ग़लत है और स्कूल प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को प्राथमिकता न देते हुए देते हुए नज़रअंदाज कर दिया गया है व एक ऐसा दस्तावेज़ पर निर्भर किया गया जिस पर, किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण),2000 (संक्षेप में, 'अधिनियम') व किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (संक्षिप्तता के लिए, नियम') के प्रावधानों के अनुसार, बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता था। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता का जन्म 15 अगस्त, 1991 को हुआ था और

इसलिए, वह 15 जून, 2008 को हुई घटना की तारीख पर नाबालिग था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड में पेश किए गए स्कूल प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 15 अगस्त, 1991 दर्ज की गई थी। वह प्रमाण पत्र अनुलग्नक ए-1 है और श्री कृष्ण कुमार, अध्यक्ष, समरहिल कॉन्वेंट स्कूल, बठिंडा द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था, जो AW2 के रूप में उपस्थित हुए थे। विद्वान वकील के अनुसार, इस गवाह ने स्वीकारोक्ति फ़ॉर्म भी साबित किया था और प्रमाण पत्र, अनुलग्नक ए 1 से समबंधित प्रविष्टि की एक फोटोकॉपी भी साबित की थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे AW3, सुमेरहिल कॉन्वेंट स्कूल, बठिंडा की प्रिंसिपल श्रीमती सरोज चोपड़ा के बयान का हवाला दिया जिन्होंने कहा कि लिखित अनुबंध A3, उनके द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस सबूत के मद्देनजर, सामग्री, यानी बीमा पॉलिसी (प्रदर्शन R1) में दर्ज जन्म तिथि, जो याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर, 1987 दर्शाती है, पर भरोसा करके ट्रायल कोर्ट के द्वारा यचिकाकर्ता के दावे को खारिज नही किया जाना चाहिए था। उनका तर्क है कि इस प्रविष्टि को स्कूल प्रमाणपत्र पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती थी। इस सामग्री के अलावा, ट्रायल कोर्ट द्वारा जिस अन्य सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह ग्राम चौकीदार के रजिस्टर में मौजूद प्रविष्टि है, जो मार्क-ए के रूप में रिकॉर्ड पर है और जो दर्शाती है कि याचिकाकर्ता के पिता के तीसरे बेटे का जन्म 3 फरवरी, 1987 को हुआ थाजबकि,अनुबंध R1 में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार 2 अक्टूबर, 1987 दिखाई गई थी, जो प्रवेश लेने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि ये दोनों सामग्रियां अप्रमाणित थीं और कभी भी कानून के अनुसार साबित नहीं हुईं। बीमा पॉलिसी में जन्मतिथि स्थापित नहीं की जा सकती थी और स्कूल प्रमाणपत्र के ऊपर इसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती थी, और इसके अलावा, अन्य रिकॉर्ड कानून के अनुसार साबित नहीं किया गया था।

3. 2009 की सीआरएल संख्या 41891 के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2007 (अनुलग्नक ए 1) की विस्तृत अंक तालिका की प्रति भी रिकॉर्ड में रखी है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 15 अगस्त, 1991 दिखाई गई है।

4. अपने तर्कों/प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले(1)** [1]में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी के अनुसार याचिकाकर्ता की जन्म तिथि स्पष्ट रूप से 2 अक्टूबर, 1987 दर्ज की गई थी और इसी तरह, गाँव के चौकीदार द्वारा बनाए रजिस्टर में प्रविष्टि में भी याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर, 1987 दिखाई गयी और इसलिए, जन्मतिथि में कोई

---

(1) 2009(2) आर.सी.आर (criminal) 878

(2) 1982 एस.सी.सी(Crl.) 396

अस्पष्टता नहीं थी और परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य, (2)** पर भरोसा रखा।

6. मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सोच-समझकर विचार किया है और पेपर-बुक के साथ-साथ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का भी अध्ययन किया है।

7. अधिनियम की धारा 2 (k) और (1) "किशोर" या "बच्चे" और "कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप है और जिसने ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि के अनुसार, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"2(k) किशोर" या "बच्चा" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

2 (1) "कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर" का अर्थ एक ऐसा किशोर है जिस पर अपराध करने का आरोप है और उसने ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि तक अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।"

8. इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक किशोर जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके द्वारा अपराध किए जाने की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

9. अधिनियम की धारा 12 में आगे कहा गया है कि ऐसे किशोर को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए जब तक कि कोई ठोस कारण न हो जिससे अदालत यह अनुमान लगा सके कि उसकी रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने या उजागर होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा है और उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

10. अधिनियम की धारा 14 किशोर न्याय बोर्ड द्वारा एक जांच पर विचार करती है, जो जांच चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इस अनुभाग के अनुसार-

"14. **किशोर के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच**-(1) जहां किसी किशोर पर अपराध का आरोप लगाया गया है ,उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करेगा और किशोर के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा उचित समझे:

बशर्ते कि इस धारा के तहत एक जांच इसके प्रारंभ होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष मामलों में लिखित में कारण दर्ज करने के बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाती है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हर छह महीने में बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा करेगा और बोर्ड को अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश देगा व अतिरिक्त बोर्डों के गठन का भी निर्देश दे सकते हैं।

11. नियमों का नियम 12 किशोर की आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह नियम इस प्रकार है:--

"12. **आयु के निर्धारण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया-**

(1) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर की आयु , उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतरनिर्धारित करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, समिति किशोर या बच्चे की किशोरावस्था या अन्यथा कानून के उल्लंघन में किशोर होने का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर करेगी, यदि उपलब्ध है, और उसे संप्रेक्षण गृह या जेल भेज देगी।

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके आयोजित की जाएगी:-- (ए) (i)मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार भाग लिया था; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) में से किसी एक (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर की उम्र की घोषणा करेगा। यदि उम्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए लाभ दे सकती है।

ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्यों या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, जैसा भी मामला हो, उसकी उम्र और किसी भी खंड (ए) (i), (ii), (iii) में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा।)

या इसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक सबूत के आधार पर किशोर या बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की उम्र अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, समिति, अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए उम्र बताते हुए और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित करते हुए लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) सहेजें और छोड़ें, जहां, अधिनियम की धारा 7ए, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में आगे की पूछताछ या अन्यथा आवश्यक हो, इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी सबूत की जांच करने और प्राप्त करने के बाद अदालत या बोर्ड द्वारा कोई आगे की जांच नहीं की जाएगी।

(6)इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए मामलों पर भी लागू होंगे, जहां किशोर की स्थिति उप नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है व जिसके लिए कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा की व्यवस्था की आवश्यकता होती है।।

12. उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में ,न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति, ऐसे किशोर या बच्चे या कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर की आयु निर्धारित उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर करे। नियम 12 के उप-नियम (2) में आगे प्रावधान है कि ऐसा करते समय, शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, न्यायालय या बोर्ड या समिति उप-नियम के दौरान प्रथम द्रष्टया के आधार पर किशोरता के प्रश्न पर निर्णय ले सकती है। (3) यह निर्धारित करता है कि किसी यचिकाकर्ता की किशोरता निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार किए जाने वाले साक्ष्य ,मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के रूप में मांगे जाएंगे, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में, स्कूल(प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाण पत्र मांगा जाएगा जहाँ सबसे पहले भाग लिया और उसके अभाव में, निगम या नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र और यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जानी चाहिए जो ऐसे किशोर की उम्र की घोषणा करेगा. उप-नियम (4) ऐसी जांच के बाद आदेश पारित करने पर विचार करता है।

13. उपरोक्त पुनरुत्पादित नियम, इस प्रकार, पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पर विचार करता है कि शुरू में किशोर की प्रथम दृष्टया उपस्थिति पर न्यायालय द्वारा संतुष्टि दर्ज की जानी चाहिए और उसके बाद प्रमाण पत्र या चिकित्सा राय के आधार पर आगे की पूछताछ की जानी चाहिए।

14. यदि तत्काल मामले के तथ्यों को देखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने नियमों के नियम 12(2) के तहत आवश्यक अपनी प्रथम दृष्टया राय दर्ज नहीं करके स्पष्ट रूप से गलती की है। ये प्रावधान महज़ कोरी औपचारिकता नहीं हैं। इन प्रावधानों के पीछे अंतर्निहित कारण यह है कि न्यायालय, जिसके पास सबसे पहले कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की शारीरिक उपस्थिति का आकलन करने का अवसर होता है, को दो कारणों से अपनी संतुष्टि या प्रथम दृष्टया प्रभाव दर्ज करना होता है, एक तो जांच में कुछ समय लग सकता है व दूसरा, न्यायालय किसी व्यक्ति को देखकर आश्वस्त हो सकता है कि वह किशोर है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 12 या धारा 15 के तहत आवश्यक त्वरित उपाय कर सकता है। अपराध करने की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की किशोरावस्था उस समय देखी जानी है और इसलिए, नियमावली के नियम 12(2) के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रथम दृष्टया अपनी राय दर्ज करना न्यायालय के लिए अनिवार्य है।

15.इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके पास प्रिंसिपल, समरहिल कॉन्वेंट स्कूल, बठिंडा द्वारा जारी किए गए स्कूल प्रमाणपत्र का मूल्यांकन करने का अवसर था, जो जन्म तिथि का समर्थन करने के लिए गवाह के रूप में भी पेश हुए थे जिसमें याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 15 अगस्त, 1991 के रूप में दर्ज की गई थी। घटना वर्ष 2008 में हुई थी और न्यायालय को इस प्रमाणपत्र का मूल्यांकन करना चाहिए था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जब याचिकाकर्ता द्वारा उस स्कूल में प्रवेश की मांग की गई जहां प्रवेश कुछ साल पहले हुआ था, अधिकारियों द्वारा गलत जन्मतिथि दर्ज करने का कोई कारण नहीं था।

16.इसके अलावा, सीआरएल विविध संख्या 41891/2009 के माध्यम से याचिकाकर्ता ने माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2007 की अंक तालिका की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी है जिसके अनुसार भी उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त, 1991 है।

17.सामग्री के ये दो टुकड़े नियमों के नियम 12(3) के आदेश के अनुरूप थे, जो एक किशोर की जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार जिस स्कूल से पढ़ाई की (प्ले स्कूल के अलावा) उसके द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र को राय का आधार बनाता है और केवल इस सामग्री के अभाव में ही न्यायालय को पूछताछ के लिए आगे बढ़ना और कुछ अन्य सामग्री पर गौर करना आवश्यक है।

इसलिए, ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से गलती में था जब उसने कुछ प्रविष्टियों पर भरोसा करना चुना जिसके आधार पर बीमा पॉलिसी दी गई थी और इसी तरह, चौकीदार के रजिस्टर में प्रविष्टि पर भरोसा करके भी गलती हुई थी जिसमें याचिकाकर्ता के पिता के तीसरे बेटे का जन्म 3 फरवरी, 1987 को अस्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था।

18. हरि राम के मामले (सुप्रा) में फैसले के पैराग्राफ 18 का प्रासंगिक भाग में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने नियमों के नियम 12 के प्रावधानों के सम्बंध में कुछ टिप्पणियां कीं, नीचे प्रस्तुत हैं -

"18. धारा 7-ए किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी स्तर पर, किसी मामले के अंतिम निपटान के बाद भी, किशोर उम्र का दावा करने का प्रावधान करती है और उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसे अदालत को अपनाने की आवश्यकता होती है, जब किशोर उम्र का ऐसा दावा किया जाता है । यह एक जांच का प्रावधान के साथ साक्ष्य लेने की आवश्यकता (लेकिन हलफनामा नहीं) का प्रावधान करता है ताकि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि प्रश्न में व्यक्ति किशोर है या नहीं। उपरोक्त प्रावधान हालाँकि न्यायालयों तक ही सीमित था और जहाँ तक बोर्डों का सवाल था, अपर्याप्त साबित हुआ। इसके बाद, किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 में, जो कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को कार्यान्वित किए जाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है, नियम 12 पेश किया गया जिसमें एक बच्चे या किशोर या कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में उम्र के निर्धारण के उद्देश्य से न्यायालयों, बोर्डों और बाल कल्याण समितियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान की गयी। चूंकि उपरोक्त प्रावधान आपस में जुड़े हुए हैं और उम्र के निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, इसलिए उक्त नियम को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

नियम 12 के उप नियम (4) और (5) इस मायने में विशेष महत्व रखते हैं कि वे प्रावधान करते हैं कि एक बार किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की उम्र उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी सबूत के आधार पर अपराध की तारीख पर 18 वर्ष से कम पाई जाती है तब न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, अधिनियम के अध्याय IV के तहत नियुक्त बाल कल्याण समिति को किशोर की उम्र बताते हुए या उसकी स्थिति बताते हुए एक लिखित आदेश पारित करना होगा व इसके बाद नियम 12 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी अन्य दस्तावेजी सबूत की जांच करने और प्राप्त करने के बाद न्यायालय या बोर्ड द्वारा कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। नियम 12, इसलिए धारा 7ए के प्रावधानों के

अनुसार जब किशोरता का दावा उठाया जाता है, को प्रभावी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को इंगित करता है।

19.इसके अलावा, **राजिंदर चंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, (3)**[2]में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 5 में, निम्नानुसार कहा: -

"यह सच है कि अभियुक्त की उम्र अभी 16 साल की सीमा पर है और अपराध और उसकी गिरफ्तारी की तारीख पर उसकी उम्र केवल कुछ महीने ही 16 साल से कम थी। **अर्नित दास बनाम बिहार राज्य [(2005))5 एससीसी 488] में ,** इस न्यायालय ने न्यायिक राय की समीक्षा पर यह माना है कि आरोपी की उम्र के निर्धारण के सवाल से निपटने के दौरान यह पता लगाने के लिए कि वह किशोर है या नहीं, आरोपी की ओर से इस दलील के समर्थन में पेश किए गए सबूतों की सराहना करते हुए एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया नहीं जाना चाहिए और यदि उक्त साक्ष्य पर दो विचार संभव हो सकते हैं तब अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। . इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पूरी तरह से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है।"

20. उपरोक्त कारणों से, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के किशोर होने के प्रश्न का निर्धारण करते समय ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से त्रुटि में पड़ गया है।

21. अधिनियम की धारा 7-ए, जो इस प्रकार है, यह बताती है कि किसी संघर्षरत व्यक्ति के किशोर होने का प्रश्न किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है:-

"**7ए. जब किसी अदालत के समक्ष किशोरता का दावा उठाया जाता है तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया**——(1) जब भी किसी अदालत के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है या अदालत की राय है कि अपराध करने के समय आरोपी किशोर था, तो अदालत जांच करेगी, ऐसे साक्ष्य लेगी जो आवश्यक हो (लेकिन हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके और उसकी उम्र यथासंभव बताते हुए निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं।

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी और ऐसा दावा इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा भले ही किशोर की किशोरता इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले या शीघ्र ही समाप्त हो गई है।

---

(3) 2002 (1) आरसीआर (आपराधिक) 586=(2002) 2 एस.सी.सी. 287

(2) यदि अदालत उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाती है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को भेज देगी और सजा, यदि कोई अदालत द्वारा पारित की गयी हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

22. इसलिए, मेरी राय है कि पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते समय, मैं याचिकाकर्ता को किशोर घोषित करता हूं।

23. निर्णय से अलग होने से पहले, मैं अपनी राय व्यक्त करना उचित समझता हूं कि नियमों के नियम 12(2) के अनुपालन के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियों का सख्ती से पालन करने के लिए सभी न्यायालयों/प्रधान मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किए जाएं। किसी किशोर की उम्र का निर्धारण करते समय पहले ऐसे किशोर की शारीरिक उपस्थिति के बारे में प्रथम दृष्टया राय दर्ज करें और फिर नियम 12 के उप-नियम (3) में दी गई सामग्री पर विचार करके जांच का सहारा लें।[3]

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा

---

(1) आर.एन.आर